


राजस्थान सरकार  
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर  
कमांक 20(101)02/आयो/निकाशि/2013-14/न्यसब्जेक्ट/1083- दिनांक : 2-8-2013

आदेश

राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ20(101)02/प्लान/डीसीई-2013-14/ दिनांक 26-7-2013 की अनुपालना में निम्नलिखित स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को तुरन्त प्रभाव से कमोन्नत कर स्नातकोत्तर किये जाने की एतद्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	जिला	महाविद्यालय का नाम जिसे स्नातकोत्तर में कमोन्नत किया गया है ।
1	भरतपुर	राजकीय महाविद्यालय, डीग
2	डूंगरपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर
3	जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं
4	जालौर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर
5	राजसमन्द	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा
6	करौली	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डोन सिटी
7	बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय, नोखा
8	श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़
9	अलवर	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़
10	अलवर	राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी
11	चित्तौड़गढ़	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा
12	चूरु	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर
13	दौसा	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई
14	हनुमानगढ़	राजकीय महाविद्यालय, नोहर
15	जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, फलौदी
16	जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़
17	जालौर	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल
18	सीकर	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़
19	टोंक	राजकीय महाविद्यालय, देवली
20	अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद

विषय एवं पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रवेश प्रक्रिया हेतु अलग से आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।

  
( ज. पी. सिंह )  
निदेशक

क्रमांक 20(101)02/आयो/निकाशि/2013-14/न्यसब्जेक्ट/ 1082-1111 दिनांक : 02-08-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, राज0 जयपुर ।
  2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0 जयपुर ।
  3. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा राज0 जयपुर ।
  4. वित्तीय सलाहकार, निकाशि, जयपुर
  5. संयुक्त निदेशक, कार्मिक/प्रशासन/अकादमी
  6. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय
- डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, वेब प्रभारी

( आर0एस0 भक्कड़ )  
अतिरिक्त निदेशक

1082-1111  
2-8-2013